उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि०)

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

चतुर्थ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2007 - 2008

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

UPPTCL

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2008)

अध्यक्ष

श्री जी. पटनायक

प्रबन्ध निदेशक

श्री ए. के. अवस्थी

निदेशक

श्री एस. के. अग्रवाल

श्री एच. सी. सिंह

कम्पनी सचिव

श्री एच॰के॰ अग्रवाल

(अंशकालिक)

वैधानिक सम्प्रेक्षक

मेसर्स ए. सचदेव एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक

इलाहाबाद बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्र॰ सं॰	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1-6
2.	तुलन–पत्र	7
3.	लाभ–हानि खाता	8
4.	लेखीय अनुसूचियाँ (1-20)	9-19
5.	महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	20 - 22
6.	लेखों पर टिप्पणियाँ	23 - 26
7.	तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य कारोबार का पार्श्वदृश्य	27
8.	रोकड़ प्रवाह विवरण	28
9.	वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन	29 - 35
10.	वैधानिक सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर	36 - 46
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ	47 - 48
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	49 - 50

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मण्डल को आप की कम्पनी के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के कार्य निष्पादन की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट तथा साथ में सम्प्रेक्षित लेखा विवरण, सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

समीक्षाधीन अवधि के कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :–

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31–03–2008 को समाप्त वर्ष को	31–03–2007 को समाप्त वर्ष को
आय :		
विद्युत के चक्रीय प्रभारों से राजस्व	680.22	0.00
अन्य आय	11.34	0.29
योग (अ)	**691.56**	**0.29**
व्यय :		
परिचालन व्यय :–		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	66.53	0.00
कर्मचारी लागत	193.53	0.31
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	9.92	0.01
योग (ब)	**269.98**	**0.32**
ह्रास, ब्याज एवं प्राविधानों के पूर्व परिचालकीय लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	421.58	(0.03)
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.89	
ह्रास	253.78	0.00
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	13.79	0.00
योग (द)	**429.46**	**0.00**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(7.88)	(0.03)
जोड़ा –शुद्ध पूर्वावधि आय/(व्यय)	(6.53)	0.00
प्रारम्भिक व्यय	0.01	0.01
कर के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(14.42)	(0.04)
फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्राविधान	0.32	0.00
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	14.74	(0.04)

टिप्पणीः—चालू वर्ष के अवशेष पिछले वर्ष के अवशेषों से तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि कारपोरेशन को पारेषण/चक्रीय व्यवसाय मात्र दिनांक 01—04—2007 से हस्तान्तरित किया गया है।

निदेशक मण्डल द्वारा कोष को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो :

इस तथ्य के परिपेक्ष्य में कि समीक्षाधीन वर्ष तक कम्पनी की संचित हानियाँ हैं तथा विनियोजन हेतु कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी कोष को हस्तान्तरण किये जाने हेतु कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

लाभांशः

चूँकि कम्पनी के पास वितरण हेतु कोई लाभ नहीं है इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल किसी लाभांश वितरण की संस्तुति नहीं कर सका।

परिचालन :

उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत ट्रान्सको अन्तरण योजना की अधिसूचना सं. 2974 (i)/24—पी—2—2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अन्तर्गत कम्पनी दिनांक 01—04—2007 से विद्युत के पारेषण/चक्रीय व्यवसाय का कार्य कर रही है।

भौतिक उपलब्धियाँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न पारेषण कार्य पूरे किये गये :—

(अ) लाइनें :

(i)	400 के.वी. लाइनें	0.000 सर्किट कि.मी.
(ii)	200 के.वी. लाइनें	140.000 सर्किट कि.मी.
(iii)	132 के.वी. लाइनें	581.000 सर्किट कि.मी.

(ब)(i) उप—संस्थान :

वोल्टेज	नये चालू किये गये		क्षमता वृद्धि	
	उप—संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)	उप—संस्थानो की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)
400 के.वी.	—	—	—	—
220 के.वी.	1	220	7	460
132 के.वी.	8	260	46	1079

(ब) (ii) कैपेसिटर्स :

1. 132 के.वी.—100 एम.वी.ए.आर.
2. 33 के.वी.—शून्य

(ब) (iii) 'बे' ऊर्जीकृत :

1. 400 के.वी. — 1 अदद
2. 220 के.वी. — 3 अदद
3. 132 के.वी. — 14 अदद
4. 33 के.वी. — 95 अदद

कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ, जो कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति जिससे तुलन पत्र सम्बंधित है तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य घटित हुयी हों :

वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की तिथि के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुए।

कम्पनी व्यवसाय, सहायक कम्पनियों की प्रकृति में अथवा उनके द्वारा सम्पादित किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति में सामान्य रूप में व्यवसाय की श्रेणी, जिसमें कम्पनी की अभिरूचि हो, में वित्तीय वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन :

विद्युत अधिनियम, 2003, दिनांक 9 जून, 2003 से लागू हुआ। अधिनियम में अपेक्षित था कि वितरण से पारेषण व्यवसाय तथा विद्युत व्यापार अलग हो जाये। उ.प्र.पा.का.लि. की एक सहायक के रूप में एक व्यापार निगम का गठन किया गया, किन्तु बाद में उ.प्र. सरकार ने निर्णय लिया कि विद्युत का व्यापार उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा किया जायेगा तथा नये सृजित व्यापार निगम को पारेषण निगम में परिवर्तित कर दिया जाय। तद्नुसार व्यापार निगम का नाम एवं उद्देश्य सम्बंधी अनुच्छेद बदल दिये गये। परिवर्तन का अनुमोदन कम्पनी रजिस्ट्रार, उ.प्र. द्वारा किया जा चुका है। यह दिनांक 13 जुलाई, 2006 से लागू है। अग्रेतर उ.प्र.पा.का.लि. के उद्देश्य सम्बंधी अनुच्छेद भी परिवर्तित कर दिये गये तथा पारेषण व्यवसाय से सम्बंधित उद्देश्यों को उ.प्र.पा.का.लि. के पार्षद सीमा नियम में संशोधित किया गया, उ.प्र.पा.का.लि. ने एक व्यापारिक कम्पनी (विद्युत की थोक क्रय एवं विक्रय) के रूप में कार्य जारी रखा तथा उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. अलग पारेषण से व्यवसाय जारी रखेगा। अग्रेतर, यह स्पष्ट करना है कि उ.प्र. सरकार की अधिसूचना सं. 122/यू.एन.एन.पी./24–07 दिनांक 18–07–2007 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अन्तर्गत उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. को एक राज्य पारेषण संस्था के रूप में घोषित किया गया। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार की अधिसूचना सं. 2974 (प)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अनुरूप दिनांक 01–04–2007 से उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. ने पारेषण व्यवसाय का संचालन प्रारम्भ कर दिया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (i) (ई) सपठित कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में वितरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय सम्बंधी सूचना संलग्नक में दी गयी है, जोकि इस रिपोर्ट का अंग है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अभिप्राय से निगम में पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गयी जिसका पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु. 60 लाख (अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह) से अधिक था।

निदेशक मण्डल :

विचाराधीन वर्ष में निदेशक मण्डल की ढाँचागत स्थिति निम्नवत रही :–

क्र.सं.	नाम	पद	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए)	
			नियुक्ति तिथि	समाप्ति तिथि
1	श्री अशोक कुमार खुराना	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	26–05–06	29–04–07
2	श्री जी. पटनायक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	09–06–07	24–03–08
3	श्री जी. पटनायक	अध्यक्ष	24–03–08	कार्यरत
4	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबंध निदेशक	24–03–08	कार्यरत
5	श्री ए.के. अवस्थी	निदेशक	26–05–06	21–10–07
6	श्री राजीव कपूर	निदेशक	22–10–07	30–11–07
7	श्री ए.के. अवस्थी	निदेशक	30–11–07	24–03–08
8	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक	11–01–05	14–08–08
9	श्री एच.सी. सिंह	निदेशक	14–08–07	कार्यरत

निदेशक मण्डल, निदेशकों को उनके द्वारा कम्पनी में अपने कार्यकाल में दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखीय मानकों का पालन किया गया है, अपवाद स्वरूप कुछ मामलों को छोड़कर जिनपर समुचित स्पष्टीकरण लेखों में दिये गये हैं।

(ii) निदेशकों ने समुचित लेखा नीतियों का चयन किया है तथा अलग इंगित किये गये परिवर्तनों को छोड़कर उन्हें निरन्तरता से लागू किया है और निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हों, ताकि 31 मार्च, 2008 को कम्पनी के क्रिया–कलापों एवं कथित अवधि के लाभ एवं हानि की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखा–अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर, अंशधारकों को यह सूचित करना है कि विभिन्न कमियाँ, जो कि प्रबंधन द्वारा पायी गयी तथा वे भी जो कि वैधानिक सम्प्रेक्षकों तथा सी.ए.जी. द्वारा इंगित की गयीं, उन्हें आने वाले वर्षो में लेखांकित किया जाएगा।

(iv) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर तैयार किये गये हैं।

सहायक कम्पनियाँ :

कम्पनी की कोई सहायक नहीं है।

सम्प्रेक्षा समिति :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निदेशक मण्डल ने निम्न सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सम्प्रेक्षा समिति गठित की है :–

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ.प्र.पा.ट्रां.का.लि.	अध्यक्ष
संयुक्त सचिव (वित्त) उ.प्र. शासन एवं	सदस्य
अंशकालिक निदेशक, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	
महाप्रबंधक (टी.एण्ड डी.) आर.ई.सी. तथा	सदस्य
अंशकालिक निदेशक, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	
निदेशक (वित्त) उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	प्रस्तुत कर्त्ता
कम्पनी सचिव	समन्वयक

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

सम्प्रेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए मेसर्स ए. सचदेव एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी का वैधानिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया था। वैधानिक सम्प्रेक्षकों ने कम्पनी के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का सम्प्रेक्षण किया। सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट तथा उनकी टिप्पणियों पर उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षाः

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के निगम के वर्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। टिप्पणियाँ एवं उन पर प्रबंधन के उत्तर भी संलग्न हैं।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आद्यौगिक सम्बंध शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

आभार :

कारपोरेशन विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत संस्थाओं, ऊर्जा वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल वैधानिक सम्प्रेक्षकों मेसर्स ए. सचदेव एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को उनके रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

आपका निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा की गयी निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए आभार प्रदर्शित करता है।

दिनांक :

स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

अवनीश कुमार अवस्थी
प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के अन्तर्गत प्रकटन

अ–ऊर्जा का संरक्षण : **लागू नहीं**

(अनुसूची के अनुरूप आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने हेतु उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. उद्योग की सूची में सम्मिलित नहीं है)

ब–तकनीकी आमेलन :

(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०)

वर्ष के दौरान आर० एण्ड डी० में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है।

(ब) प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण :

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण हेतु किये गये प्रयासों का सारांश निम्नवत :–

साधारण प्रकृति के 220 के.वी. एवं 132 के.वी. उपसंस्थानों का सब स्टेशन आटोमेशन प्रणाली (एस०ए०एस०) से व्यवस्थित किया गया, जिनके के लिए अभिकल्प एवं अभियांत्रिकी को अन्तिम रूप दिया जा चुका था तथा निविदा विशिष्टीकरणों में सम्मिलित किया गया है।

(ii) उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त लाभ :

उपर्युक्त प्रणाली से उप संस्थानों की दूरवर्ती मानीटरिंग एवं नियंत्रण सुविधा के साथ ही साथ मानव शक्ति की आवश्यकता में कमी आयेगी।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी :

हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों में पोलीमर इन्सुलेटरों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया तथा कोहरे की स्थिति के दौरान लाइन ट्रिपिंग में कमी उल्लेखनीय थी। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग विश्व स्तर पर विकसित देशों में किया जा रहा है।

(स) विदेशी विनिमय आय एवं व्यय :

(i) विदेशी विनिमय आय : शून्य

(ii) विदेशी विनिमय व्यय : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
अवनीश कुमार अवस्थी
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष का तुलन–पत्र

(धनराशि रु. में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 को		31.03.2007 को	
निधियों के स्रोत					
अंशधारियों की निधियां					
अंश पूंजी	(1)	50000000		50000000	
अंश आवेदन धनराशि	(1A)	22083352000		0	
आरक्षित कोष एवं आधिक्य	(2)	2833014422	24966366422	0	50000000
ऋण निधियां	(3)		24661767511		0
योग			**49628133933**		**50000000**
निधियों का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियाँ					
सकल ब्लाक	(4)	57862791847		0	
घटाया : संचित ह्रास		21924810229		0	
शुद्ध ब्लाक		35937981618		0	
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	(5)	7983578032	43921559650	0	0
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे	(6)	2901734141		0	
विविध देनदार	(7)	2183834910		0	
नकद एवं बैंक अवशेष	(8)	511160219		56990526	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	(9)	76392439		501009	
ऋण एवं अग्रिम	(10)	251304971		0	
अन्तर इकाई हस्तांतरण		481926724		0	
		6406353404		57491535	
घटाया : चालू दायित्व एवं प्राविधान	(11)	10610635178		8354942	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			-4204281774		49136593
अपलिखित अथवा समायोजित न की गयी सीमा तक विविध व्यय					
प्रारम्भिक व्यय			74600		149200
लाभ एवं हानि खाता (डेबिट अवशेष)			9910781457		714207
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	(21)				
अनुसूचियाँ 1 से 21 लेखों का अभिन्न अंग हैं					
योग			**49628133933**		**50000000**

एच.के. अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस.के. अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
वास्ते ए. सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन.सं. 001307 सी
के.जी. बंसल
साझीदार
स.सं. 094274

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2008 को	31.03.2007 को
आय			
विद्युत के चक्रीय प्रभारों से आय	(12)	6802217751	0
अन्य आय	(13)	113391333	2921807
योग		**6915609084**	**2921807**
व्यय			
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	(14)	665289915	0
कर्मचारी लागत	(15)	1935255882	3103000
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	(16)	99167040	177305
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	(17)	1618861871	0
ह्रास	(18)	2537851012	0
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	(19)	137945135	0
योग		**6994370855**	**3280305**
पूर्वावधि आय/व्यय एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(78761771)	(358498)
पूर्वावधि आय/(व्यय) (शुद्ध)	(20)	(65331873)	0
अपलेखित प्रारम्भिक व्यय		74600	74600
कर के पूर्व लाभ/(हानि)		(144168244)	(433098)
फ्रिन्ज बेनीफिट कर के लिए प्राविधान		3198530	0
कर के पश्चात लाभ/(हानि)		(147366774)	(433098)
अग्रानीत संचयी हानि		(714207)	(281109)
अन्तरण योजना के अनुसार (संचयी हानि)		(9762700476)	
तुलन पत्र में अग्रेनीत हानि		(9910781457)	(714207)
प्रति अंश आय (ई.पी.एस.)			
गणक		(147366774)	(433098)
भाजक		50000	50000
अंश का न्यूनतम मूल्य		Rs. 1000/- प्रत्येक	Rs. 1000/- प्रत्येक
मूल ई.पी.एस.		(2947.34)	(8.66)
गणक		(147366774)	(433098)
भाजक		20458762	50000
अवमिश्रित ई.पी.एस.		(7.20)	(8.66)
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	(21)		

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
यथानिर्दिष्ट वास्ते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ॰आर॰एन॰सं॰ 001307 सी
के.जी. बंसल
साझीदार
स॰सं॰ 094274

अंशपूँजी

अनुसूची "1"

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
अ. अधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/–के पूर्ण चुकता 100000000 समता अंश	100000000000	50000000
ब. निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/– के पूर्ण चुकता 50000 समता अंश	50000000	50000000
योग	**50000000**	**50000000**

अंश आवेदन धनराशि

अनुसूची "1–अ"

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
अंश आवेदन धनराशि		
आवंटन हेतु लम्बित	22083352000	0.00
योग	**22083352000**	**0.00**

आरक्षित कोष एवं आधिक्य

अनुसूची "2"

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
पूँजीगत कोष		
(i) सेवा लाइन एवं अन्य प्रभारों के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान	1025783422	0.00
(ii) पुर्नसंरचना खाता	1807231000	0.00
योग	**2833014422**	**0.00**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ऋण निधियां

अनुसूची "3"

(धनराशि रु॰ में)

	विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
(अ)	संरक्षित ऋण		
	सावधि ऋण		
	ऊर्जा वित्त निगम लि. (पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि०) (योजना के अन्तर्गत लाइन एवं उप संस्थान के रेहन के सापेक्ष सरंक्षित)	5066048154	0
(ब)	असंरक्षित ऋण		
	सावधि ऋण		
	(i) उ.प्र. सरकार	5089817258	0
	(ii) वित्तीय संस्थाएं		
	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि० (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	6621467747	0
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	4659970352	0
	(iii) विविध संस्थायें		
	नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	457200000	0
	हुडको (उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	2767264000	0
	सकल योग	**24661767511**	**0**

एच.के. अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस.के. अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4

(धनराशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लाक				ह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	31.3.2007 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	**31.03.2008** को	**31.3.2007** को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	**31.3.2008** को	**31.3.2008** को	**31.3.2007** को
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i)पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत	0	248668317	0	248668317	0	0	0	0	248668317	0
भूमि स्वामित्व										
(ii)पट्टे के अन्तर्गत	0	532054	0	532054	0	0	0	0	532054	0
भूमि स्वामित्व										
भवन	0	1755264779	153022	1755111757	0	656736601	93640	656642961	1098468796	0
अन्य जानपदीय कार्य	0	383485424	0	383485424	0	144527017	0	144527017	238958407	0
संयत्र एवं मशीनरी	0	27975763401	623383273	27352380128	0	10007068457	118276748	9888791709	17463588419	0
लाइनें, केबिल नेटवर्क	0	27937500754	131996710	27805504044		11093198641	4803824	11088394817	16717109227	0
आदि										
वाहन	0	39082837	2081526	37001311	0	17869572	1421282	16448290	20553021	0
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	0	10979966	61936	10918030	0	3725001	0	3725001	7193029	0
कार्यालय उपकरण	0	17432638	406727	17025911	0	5329155	3600	5325555	11700356	0
अनुज्ञप्तिधारियों से	0	252164871	0	252164871	0	120954879	0	120954879	131209992	0
अधिग्रहीत परिसम्पत्तियाँ										
अन्तिम मूल्यांकन लम्बित										
सकल योग	0	58620875041	758083194	57862791847	0	22049409323	124599094	21924810229	35937981618	0

एच॰के॰ अग्रवाल
कम्पनी सचिव

सुधांशु द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

एस॰के॰ अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

अनुसूची–5
(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य*	4462822705	0
पूंजीकरण हेतु लम्बित राजस्व व्यय**	412496000	0
उप योग (अ)	**4875318705**	**0**
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	3150621374	0
घटाया–पूंजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान	42362047	0
उप योग (ब)	**3108259327**	**0**
सकल योग	**7983578032**	**0**

टिप्पणी : *इसमें कार्य से सम्बन्धित अधिष्ठान एवं प्रशासनिक व सामान्य लागत शामिल है।
**इसमें कार्य से सम्बन्धित उधारी लागत शामिल है।

भण्डार सामग्री एवं कल पुर्जे

अनुसूची–6
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
भण्डार सामग्री–पूंजीगत कार्य	2564697632		0	
भण्डार सामग्री–ओ. एण्ड एम.	682501437		0	
अन्य सामग्री	61555812	3308754881	0	0
उप–योग		3308754881		0
घटाया –निष्प्रयोज्य सामग्री के लिए प्राविधान		407020740		0
योग		**2901734141**		**0**

टिप्पणी : अन्य भण्डार सामग्री में रचनाकर्ताओं को निर्गत सामग्री, निष्प्रयोज्य सामग्री, भण्डार इकाई, कार्यशाला को मरम्मत हेतु भेजे गये परिवर्तकों, जाँच प्रक्रिया में लम्बित आधिक्य/कमी तथा पारगमन में, सामग्री सम्मिलित है।

विविध देनदार

अनुसूची–7
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
विविध देनदार–विद्युत का चक्रीय पारेषण		2298773589		0
		2298773589		0
छः माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण				
संरक्षित एवं शोध्य विचारित	0		0	
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित	0		0	
संदिग्ध विचारित	0	0	0	0
अन्य ऋण :				
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित	2183834910		0	
संदिग्ध विचारित	114938679	2298773589	0	0
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान		114938679		0
योग		**2183834910**		**0**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नकद एवं बैंक अवशेष

अनुसूची–8

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
नकद रोकड				
हस्तगत रोकड़ (उपलब्ध स्टैम्प्स सहित)	349532		0	
अनुसूचित बैंकों में अवशेष :				
चालू एवं अन्य खातों में	510730687		0	
सावधि जमा खातों में	80000	511160219	56990526	56990526
योग		**511160219**		**56990526**

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–9

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
प्रोद्भूत आय किन्तु प्राप्य नहीं		501009		501009
प्राप्य धनराशियाँ				
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. से	36393492		0	
उ.प्र.ज.वि.नि.लि. से	983795	37377287	0	0
कर्मचारियो से	39526157		0	
अन्य	23041970		0	
योग	**62568127**		**0**	
घटाया–संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान	25194088	37374039	0	0
पूर्वदत्त व्यय		1140104		0
जाँच में लम्बित चोरी गई स्थाई परिसम्पत्तियाँ	1044249		0	
घटाया–अनुमानित हानियों के लिए प्राविधान	1044249	0	0	0
योग		**76392439**		**501009**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची–10
(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2008 को	31.03.2007 को	
ऋण (संरक्षित/शोध्य विचारित)				
कर्मचारी (अग्रिमों सहित)		1251578		0
(वेतन से समायोज्य/वसूली योग्य)				
अग्रिम (असंरक्षित)				
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से प्राप्य	269125060		0	
घटाया–ऋणों एवं अग्रिमो के लिए प्राविधान	26912506	242212554	0	0
स्रोत पर कर की कटौती		6140378		0
जमा :				
फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स अग्रिम कर	10742121			
घटाया–प्राविधान	9041660	1700461		0
योग		**251304971**		**0**

चालू दायित्व एवं प्राविधान

अनुसूची–11
(धनराशि रु. में)

विवरण		31.03.2008 को	31.03.2007 को	
चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्तियों/कार्यो के दायित्व		4690525759		0
ओ. एण्ड एम. आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		328907250		0
कर्मचारियों से सम्बंधित दायित्व		665982202		0
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से जमा एवं रोकी गयी धनराशि		473905549		0
विद्युतीकरण कार्यो हेतु जमा		3512172147		0
निम्न को शुद्ध देय				
उ.प्र.पा.का.लि.	277924344		8324942	
केस्को	10802612		0	
दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.	28027243		0	
मध्यांचल वि.वि.नि.लि.	56812080		0	
पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.	25174960		0	
पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.	36438228	435179467	0	8324942
विविध दायित्व		12340655		0
व्यय सम्बंधी दायित्व		50431488		30000
उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के लिए दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व	78582032			
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व	133857346	212439378		0
सी.पी.एफ. दायित्व		3393891		0
उधारी पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं		225357392		0
योग		**10610635178**		**8354942**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विद्युत के पारेषण से आय

अनुसूची–12

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
चक्रीय पारेषण प्रभार	6802217751	0
योग	**6802217751**	**0**

अन्य आय

अनुसूची–13

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
निम्न से ब्याज :				
कर्मचारियों को ऋण	353472		0	
सावधि जमा	1214625		2921807	
अन्य	7142	1575239	0	2921807
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		100733419		0
कर्मचारियों से किराया		1006440		0
विविध प्राप्तियाँ		9609061		0
भण्डार के भौतिक सत्यापन पर पाया गया आधिक्य		467174		0
योग		**113391333**		**2921807**

मरम्मत एवं अनुरक्षण

अनुसूची–14

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को	31.03.2007 को
संयंत्र एवं मशीनरी		566234440	0
भवन		39693895	0
अन्य जानपदीय कार्य		622406	0
लाइन, केबिल नेटवर्क, आदि		58575135	0
वाहन व्यय	24464361		
घटाया–विभिन्न पूँजीगत एवं परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यो/प्रशासनिक व्ययों को हस्तान्तरित	24464361	0	
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		24325	0
कार्यालय उपस्कर		139714	0
योग		**665289915**	**0**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कर्मचारी लागत

अनुसूची–15

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2008** को	**31.03.2007** को
वेतन एवं भत्ते	1521418269	3103000
मंहगाई भत्ता	430037866	0
अन्य भत्ते	66616262	0
बोनस/अनुग्रह	24736310	0
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)	22156796	0
अवकाश यात्रा सहायता	30384	0
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	48931641	0
क्षतिपूर्ति	411180	0
कर्मचारी कल्याण व्यय	3375920	0
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	339221689	0
अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ	13230912	0
ट्रस्ट पर व्यय	1387558	0
उप योग	**2471554787**	**3103000**
घटाया– पूँजीकृत व्यय	536298905	0
योग	**1935255882**	**3103000**

एच॰के॰ अग्रवाल	**सुधांशु द्विवेदी**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**नवनीत सहगल**
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रशासनिक सामान्य एवं अन्य व्यय

अनुसूची–16

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को		31.03.2007 को
किराया		2437982		0
दर एवं कर		103736		0
बीमा		780428		0
संसूचना प्रभार		12574677		0
विधिक प्रभार		2769503		0
सम्प्रेक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय :				
सम्प्रेक्षा शुल्क	466074		10000	0
यात्रा व्यय	160958	627032	0	10000
परामर्श शुल्क		32080		0
तकनीकी शुल्क एवं व्यवसायिक प्रभार		7474680		13469
यात्रा एवं आवागमन		32289939		0
छपाई एवं लेखन सामग्री		4989655		800
विज्ञापन व्यय		2293433		0
विद्युत प्रभार		4658137		0
जल प्रभार		30052		0
मनोरंजन		132624		0
ट्रस्ट पर व्यय		197205		0
विविध व्यय		34806623		153036
उप योग		**106197786**		**177305**
घटाया : पूंजीकृत व्यय		23835067		0
उप योग		**82362719**		**177305**
अन्य व्यय				
क्षतिपूर्ति (कर्मचारियों के अतिरिक्त)		561112		0
अन्य हानियां		16243209		0
योग		**99167040**		**177305**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

अनुसूची–17
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को	31.03.2007 को
ऋणों पर ब्याज			
उ.प्र. सरकार	166717258		0
पी.एफ.सी.	988159024		0
हुडको	374337687		0
आई.डी.बी.आई.	472895		0
एन.सी.आर.पी.बी.	37063873		0
आर.ई.सी.	398434841	1965185578	0
बैंक प्रभार		66172293	0
उप योग		**2031357871**	**0**
घटाया : पूंजीकृत ब्याज		412496000	
सकल योग		**1618861871**	**0**

ह्रास

अनुसूची–18
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2008 को	31.03.2007 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रास :				
भवन	51818563		0	
अन्य जानपदीय कार्य	6684586		0	
संयत्र एवं मशीनरी	1196814059		0	
लाइने, केबिल नेटवर्क आदि	1292185772		0	
वाहन	3870410		0	
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	552444		0	
कार्यालय उपकरण	1696388		0	
कम्प्यूटर एवं संसूचना प्रणाली पर ह्रास	11517495		0	0
	2565139718	2565139718	0	0
घटाया–उपभोक्ताओं तथा उ.प्र. सरकार की पूंजीगत सहायिकी से अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों पर ह्रास के समान धनराशि		27288706		0
कुल योग		**2537851012**		**0**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अशोध्य ऋण एवं प्राविधान

अनुसूची–19

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
प्राविधान		
संदिग्ध ऋणों के लिए (विद्युत की बिक्री)	114938679	0
संदिग्ध अग्रिमों (आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों) के लिए	20676004	0
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्य)	296396	0
पूँजीगत कार्यो के विरूद्ध संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान	2034056	0
योग	**137945135**	**0**

शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय

अनुसूची–20

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2008 को	31.03.2007 को
<u>अ–आय</u>		
अ) अन्य अधिक प्राविधान	266697	0
उप योग	**266697**	**0**
<u>ब–व्यय</u>		
अ) ओ. एण्ड एम. व्यय	2333429	0
ब) कर्मचारी लागत	9945075	0
स) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	19610572	0
द) ह्रास का कम/अधिक प्राविधान	33709494	0
उप योग	**65598570**	**0**
शुद्ध धनराशि	**65331873**	**0**

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुसूची –21
अ–महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ :

1. सामान्य :

(अ) वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं, फिर भी इन लेखों को तैयार करने में जहां कहीं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों से विचलन है, विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के संगत प्राविधानों को अपनाया गया है।

(ब) लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर संस्था के चलते रहने के लेखीय सिद्धान्तों पर बनाये गये हैं, जब तक अन्यथा इंगित न हो।

(स) सहायिकी अनुदान, बीमा एवं अन्य दावों, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर एवं व्यापार कर पर ब्याज का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है। कर्मचारियों को दिये ऋणों पर ब्याज का लेखांकन, मूलधन की सम्पूर्ण वसूली के उपरान्त, प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ, संचयी ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी गयी हैं।

(ब) चालू करने की तिथि तक स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना से सम्बंधित समस्त लागत पूँजीकृत की गयी है।

(स) पूँजीगत परिसम्पत्तियों की लागत के सम्बंध में प्राप्त उपभोक्ताओं का अंशदान पूँजीगत कोष के रूप में दायित्व माना जाता है और उसके पश्चात सम्बंधित परिसम्पत्तियों पर भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित कर दिया जाता है।

(द) चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के मामले में जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निपटारा होना शेष हैं, पूँजीकरण आवश्यक समायोजन, अन्तिम निपटारे के वर्ष में किये जाने की शर्ताधीन किया जाता है।

(य) कार्यशील इकाइयों की बाहुल्यता के साथ ही साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की विविधता के कारण पूँजीगत कार्यो से सम्बंधित कर्मचारी लागत तथा सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूँजीकरण कुल व्यय हुई धनराशि के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

पूँजीगत पारेषण कार्यो के मामले में–

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप–सस्थानों एवं लाइनों पर 10 प्रतिशत की दर से

(ii) 400 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 8 प्रतिशत की दर से और

(iii) 765 के.वी. उप संस्थानों एवं लाइनों पर 6 प्रतिशत की दर से।

(र) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण काल के दौरान उधारी लागत, वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेषों के आधार पर बांट दिया जाता है। विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 में दी गयी गणनाविधि के अनुसार पूँजीगत कार्यो पर आरोपणीय ऋण लागत की धनराशि सुनिश्चित करके पूँजीकृत की जाती है।

3. ह्रास :

(अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट दरों पर 'सीधी रेखा पद्धति' से ह्रास भारित किया गया है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/कमी के लिए ह्रास का भारण अनुपातिक आधार पर किया गया है।

4. भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे :

(अ) भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(ब) रद्दी इस्पात का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है तथा इस्पात के अतिरिक्त रद्दी सामान का लेखों में लेखांकन जैसे और जब बेचा जाता है, के आधार पर किया जाता है।

(स) वर्ष के अन्त तक भण्डार सामग्री में पायी गयी कोई कमी/आधिक्य जांच के निर्णय होने तक 'सामग्री की कमी/आधिक्य जांच के लिए लम्बित' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शायी जाती है।

5. राजस्व मान्यता

(अ) पारेषण राजस्व का लेखों में समावेश सम्बधित वर्ष में किये गये वास्तविक व्ययों के आधार पर किया गया है तथा अंश पूँजी पर लाभांश, समय–समय पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन के अनुसार भारित है। उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची तथा वास्तविक दरों में कोई अन्तर उ.प्र.वि.नि.आ. के समक्ष प्रेषित ट्रू–अप में प्रस्तुत किया जाता है तथा तद्नुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण के मामलें में ऊर्जा के पारेषण/खुले आगमन से राजस्व की मान्यता है तथा लेखांकन एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर पर है।

(स) पूर्वावधि की समस्त आय एवं व्यय चालू अवधि में एक भिन्न मद के रूप में दर्शाये गये हैं।

6. कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ :

(अ) कर्मचारियों से सम्बंधित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए दायित्वों का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभों तथा एल.टी.सी. का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

7. आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियों के लिए प्राविधानः

(अ) प्राविधानों का लेखांकन वर्तमान दायित्वों के निस्तारण हेतु जैसा आवश्यक हो सम्भावित सीमा तक अनुमानित व्ययों के आधार पर किया गया है।

(ब) आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है।

(स) वसूली न होने योग्य आय की आकस्मिक सम्पत्तियों को मान्यता नहीं दी गयी है।

एच॰के॰ अग्रवाल	**सुधांशु द्विवेदी**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**नवनीत सहगल**
कम्पनी सचिव, अंशकालिक	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
के.जी. बंसल
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

अनुसूची–21

ब. 31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ

1. (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) अस्तित्व में आया जब उ.प्र. सरकार के पत्र सं. 293 दिनांक 16–05–2006 के अनुपालन में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम के पार्षद सीमा नियम के नाम एवं उद्देश्य सम्बंधी प्रस्तर (दिनांक 31–05–2004 को निगमित) दिनांक 13–07–2006 को परिवर्तित किया गया था।

(ब) राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से पारेषण क्रियाकलापों के हस्तान्तरण के उद्देश्य से एक अनन्तिम अन्तरण योजना बनायी, जिसमें उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.का.लि.) से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड को परिसम्पत्तियों, दायित्वों तथा सम्बंधित कार्यवाही का हस्तान्तरण सम्मिलित था। अन्तरण योजना के अन्तर्गत प्रभावी तिथि दिनांक 01–04–2007 निर्धारित थी, इसी तिथि से उ.प्र.पा.का.लि. तथा उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. ने अलग–अलग उपयोगिताओं के रूप में क्रमशः विद्युत की थोक क्रय/विक्रय तथा पारेषण कार्य करना प्रारम्भ किया।

2. वित्तीय वर्ष 2007–08 में अन्तिम खाते दिनांक 01–04–2007 (कम्पनी द्वारा पारेषण व्यवसाय अधिग्रहण की तिथि) को इकाइयों की पुस्तकों में उपलब्ध वास्तविक अवशेषों के अनुसार बनाये गये हैं। इकाईवार अवशेषों तथा अनन्तिम अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के अन्तर की धनराशि रु. 180.72 करोड़ अन्तरण योजना के लम्बित अनन्तिमीकरण की शर्ताधीन कोष एवं आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्संरचना खाते के रूप में दर्शायी गयी है।

3. बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09–11–2000 (उ.प्र.पा.का.लि. के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) के आधार पर पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के परिणाम स्वरूप प्रोद्भूत दायित्वों के लिए प्राविधान कर्मचारियों को भुगतान किये गये मूल वेतन एवं मंहगाई भत्तों की धनराशि के क्रमशः 16.70 प्रतिशत तथा 2.38 प्रतिशत की दर से किया गया है।

4. ट्रान्सको अन्तरण योजना (अनन्तिम) में प्रावधानित अंशपूँजी रु. 1263.97 करोड़ की धनराशि तुलन पत्र में 'अंश आवेदन धनराशि आबंटन हेतु लम्बित' के रूप में दर्शायी गयी है।

5 (अ) विद्युत के चक्रीय/पारेषण प्रभारों से राजस्व के सापेक्ष अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान देनदारों के 5 प्रतिशत की दर से किया गया है।

(ब) संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्राविधान, ''ऋण एवं अग्रिमों''/''प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो'' के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के अवशेषों के 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। परन्तु पूँजीगत कार्यो (मैटेरियल कन्ट्रोल एकाउन्ट पूँजीगत) हेतु ठेकेदारों को निर्गत सामग्री की धनराशि के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे कर्मचारियों तथा अन्य के सापेक्ष संदिग्ध पूर्ण

प्राप्यों हेतु प्राविधान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है, सिवाय–

(i) विद्युत पारेषण खण्ड प्रथम, इलाहाबाद में रु. 23 करोड़ तथा

(ii) इटलू, वाराणसी में रु. 1.86 करोड़ जहां 100 प्रतिशत प्राविधान किया गया है।

(द) प्रारम्भिक व्यय 20 प्रतिशत की दर से अपलेखित किये गये हैं।

(य) कारपोरेशन के आदेश सं. 175/काविनी एवं VI प्रा दिनांक 19–02–2009 के अनुपालन में दिनांक 31 मार्च, 2008 तक छठे वेतन आयोग के वेतन बकाया के लिए प्रावधान चालू वर्ष के दौरान लेखों में रु. 51.32 करोड़ धनराशि का किया गया है।

6. अन्तर इकाई हस्तान्तरण (आई.यू.टी.) के अवशेषों की धनराशि रु. 48.19 करोड़ (डेबिट) का समाधान प्रगति में है तथा समाधान का प्रभाव, यदि कोई हुआ, आगामी वर्षो के लेखों में प्रावधानित किया जायगा।

7. (अ) जहाँ अधित्याग/हटायी गयी/अप्रचलित स्थायी परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसी सम्पत्ति की अनुमानित लागत और उन पर ह्रास का समायोजन करके लेखीकृत किया गया है।

(ब) अनन्तिम अन्तरण योजना, 2010 के अन्तर्गत हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मामले में, अभिलेखों में कारपोरेशन के नाम की प्रतिस्थापना कराने की प्रक्रिया प्रगति में है।

(स) वर्ष के दौरान ह्रास का प्राविधान यथा अनुपात पर आधारित है जोकि अबतक केवल स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रारम्भिक अवशेषों पर भारित की जाती थी। ह्रास की नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान रु. 10.09 करोड़ की ह्रास धनराशि की बढ़ोतरी हुई।

8. (अ) 'चालू परिसम्पत्तियाँ' 'ऋण एवं अग्रिम' 'असंरक्षित ऋणों', 'चालू दायित्वों' तथा सामग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं के पास उपलब्ध शीर्षो के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे कुछ अवशेष पुष्टीकरण/समाधान तथा अग्रेतर समायोजन जैसा आवश्यक हो, की शर्ताधीन हैं।

(ब) समग्र आधार पर चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों का व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली मूल्य होता है, जोकि कम से कम उस धनराशि के समान होगी, जो तुलन पत्र में इंगित है।

9. लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को देय धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा पूर्ण सूचना के अभाव में उस पर ब्याज के लिए प्राविधान नहीं किया जा सका। इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

10. बैंकों से नकद साख/अधिविकर्ष पर देय ब्याज का लेखांकन जैसे और जब बैंकों द्वारा डेबिट किया जाता है, के आधार पर किया गया है।

11. कारपोरेशन ने पूर्व में रु. 0.12 प्रति यूनिट की दर से पारेषण दर सूची बीजक निर्गत किया, परन्तु लेखीय नीति के परिपेक्ष्य में पारेषण राजस्व का लेखांकन निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित रु. 0.1317 प्रति यूनिट की दर से किया गया है, जिसके लिए यथा समय में बीजक संशोधित किया जायगा।

12. निदेशकों एवं अधिकारियों को विदेशी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान शून्य था।

13. निदेशकों से बकाया ऋण रु. शून्य थे।

14. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI के भाग–I एवं II के प्राविधान के अनुसरण में सूचना निम्नवत है :–

(अ) वर्ष के दौरान पारेषित/भेजी गयी ऊर्जा 51572.2353 मि.यू. है।

(ब) **आकस्मिक दायित्व :**

क्र.सं.	विवरण	2007–08 धनराशि (रु. लाखों में)
1.	पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ	22827.76
2.	अन्य आकस्मिकताएँ	1425.41

15. चूँकि कम्पनी मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण एवं चक्रीय व्यवसाय में कार्यरत है तथा लेखीय मानक–17 के अनुसार सूचित करने वाले किसी अन्य भाग के प्रकटन की आवश्यकता नहीं हैं।

16. लेखीय मानक–18 के अनुसार प्रकटन :

(अ) सम्बंधित पक्षों की सूची (मुख्य प्रबंधनकर्त्ता)

क्र.सं.	नाम	पद	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्ति/समाप्ति
1.	श्री अशोक कुमार खुराना	अध्यक्ष एवं प्र.नि.	26–05–06	29–04–07
2.	श्री जी. पटनायक	अध्यक्ष एवं प्र.नि.	09–06–07	24–03–08
3.	श्री जी. पटनायक	अध्यक्ष	24–03–08	कार्यरत
4.	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबंध निदेशक	24–03–08	कार्यरत
5.	श्री ए.के. अवस्थी	निदेशक	26–05–06	21–10–07
6.	श्री राजीव कपूर	निदेशक	22–10–07	30–11–07
7.	श्री ए.के. अवस्थी	निदेशक	30–11–07	24–03–08
8.	श्री. एस.के. अग्रवाल	निदेशक	11–01–05	14–08–07
9.	श्री एच.सी. सिंह	निदेशक	14–08–07	कार्यरत

(ब) सम्बंधित पक्षों से लेनदेन–मुख्य प्रबंध कार्यकर्ताओं (अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक एवं लाभ शून्य है।

17. भारी हानियों/ह्रास जिसकी निकट भविष्य में ऐसी हानियों/ह्रास की प्रतिपूर्ति की अनिश्चितता के परिणाम स्वरूप आई.सी.ए.आई. द्वारा निर्गत लेखीय मानक–22 के अनुसार, जैसा अपेक्षित है, स्थगित कर परिसम्पत्तियों को लेखांकित नहीं किया गया है।

18. प्रबंधन के मत में जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 के अन्तर्गत निर्धारित है, तुलन पत्र की तिथि को किन्ही भी सम्पत्तियों के क्षरण के सम्बध में कोई विशेष संकेत नहीं है। अग्रेतर, कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों का

लेखांकन उनकी ऐतिहासिक लागत पर किया गया है तथा उनमें से अधिकांश सम्पत्तियाँ बहुत पुरानी हैं, जहाँ परिसम्पत्तियों का क्षरण बहुत ही असम्भाव्य है।

19. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा अनुसूचियों में दर्शाये गये आँकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

20. चालू वर्ष के अवशेष, पूर्व वर्ष के अवशेषों से तुलनीय नहीं है क्योंकि पारेषण/चक्रीय व्यवसाय केवल दिनांक 01–04–2007 से कम्पनी को हस्तान्तरित किये गये हैं।

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव, अंशकालिक	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
के.जी. बंसल
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय का पार्श्वदृश्य

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या: 20-28687 | राज्य कोड: 20

तुलनपत्र तिथि: दिनांक 31 | माह 03 | वर्ष 2008

2. वर्ष के दौरान उठाई गई पूँजी (धनराशि हजार रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य | बोनस निर्गम: शून्य

अधिकार निर्गम: शून्य | निजी भागीदारी: शून्य

3. निधियों के जुटाव एवं विकास की स्थिति : (धनराशि हजार रुपये में)

कुल दायित्व: 49628134 | कुल परिसम्पत्तियाँ: 49628134

निधियों के स्रोत :

चुकता पूंजी: 50000 | कोष एवं आधिक्य: 2833014

असंरक्षित ऋण: 19595720

आवंटन हेतु लम्बित अंश आवेदन धनराशि: 22083352

संरक्षित ऋणं: 5066048 | विविध ऋण: 75

निधियों का उपयोग | **शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ**

शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ: 43921560 | -4204282

संचित हानियाँ: 9910781 | विनियोग: 0

कुल व्यय: **7059703**

4. कम्पनी का निष्पादन (धनराशि रु. हजारों में)

बिक्री (सकल राजस्व): 6915609 | (+/–) कर के पश्चात लाभ/हानि: -147367

(+/–) कर के पूर्व लाभ/हानि: -144168

प्रतिअंश आय (रु. में): -2947 | लाभांश दर प्रतिशत में: शून्य

उत्पाद/सेवा विवरण: विद्युत का पारेषण | मद कोड सं.: अनुपलब्ध

एच॰के॰ अग्रवाल	सुधांशु द्विवेदी	एस॰के॰ अग्रवाल	नवनीत सहगल
कम्पनी सचिव, अंशकालिक	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड 31.03.2008 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

		मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए	2007–08	2006–07
(अ)		**परिचालकीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह कराधान एवं असाधरण मदों के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि**	**(7.88)**	**(0.05)**
		निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ)	ह्रास	253.78	0
	(ब)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.89	0
	(स)	अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	13.79	0
	(द)	ब्याज से आय	(0.16)	(0.29)
	(य)	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	(6.53)	0
	(र)	फ्रिन्ज बेनीफिट टैक्स	(0.32)	0
	(ल)	अपलेखित प्रारम्भिक व्यय	0.01	0.01
		उप योग	**422.46**	**(0.28)**
		कार्यशील पूंजीगत परिवर्तन से पूर्व परिचालकीय लाभ	**414.58**	**(0.33)**
		निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ)	भन्डार एवं कलपुर्जे	(290.17)	0
	(ब)	विविध देनदार	(229.88)	0
	(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(7.62)	0.12
	(द)	ऋण एवं अग्रिम	(27.40)	0
	(य)	अन्तर इकाई अन्तरण	(48.19)	0
	(र)	चालू परिसम्पत्तियां एवं प्राविधान	1060.23	0.33
		उप योग	**455.97**	**0.45**
		परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ (अ)	**871.55**	**0.12**
(ब)		**विनियोगी क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	(अ)	स्थायी परिसम्पत्तियों की कमी/(वृद्धि)	(3847.58)	0
	(ब)	प्रगतिशील कार्यो में कमी/(वृद्धि)	(798.36)	0
	(स)	विनियोगों में कमी/(वृद्धि)	0	0
	(द)	पुनर्संरचना खाते में कमी/(वृद्धि)	0	0
	(य)	ब्याज आय	0.16	0.29
		विनियोगी क्रिया–कलापों से जनित शुद्ध रोकड (ब)	**(4645.78)**	0.29
(स)		**वित्तीय क्रिया–कलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	(अ)	उधारी से आय (शुद्ध)	2466.17	0
	(ब)	अंश पूंजी से प्राप्तियां	2208.34	0
	(स)	उपभोक्ताओ से अंशदान एवं उत्तर प्रदेश सरकार से पूंजीगत सहायिकी (कोष एवं अधिक्य) से प्राप्तियाँ	283.30	0
	(द)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(161.89)	0
	(य)	अन्तरण योजना के अनुसार संचयी हानि	(973.27)	0
वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (स)			3819.65	0
रोकड़ में शुद्ध वृद्धि/(कमी) एवं समकक्ष रोकड़ (अ+ब+स)			45.42	0.41
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष			5.70	5.29
वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष			51.12	5.70

एच॰के॰ अग्रवाल	**सुधांशु द्विवेदी**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**नवनीत सहगल**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी रिपोर्ट के शर्ताधीन
वास्ते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
के.जी. बंसल
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

ए. सचदेव एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

27 (II) गोखले मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) 226001
दूरभाष–0522-2207154, 2207954

सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि.)

लखनऊ

1. हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ एवं हानि खाता और इसी तिथि को समाप्त हुयी अवधि के प्रेषित रोकड़ प्रवाह विवरण का सम्प्रेक्षण किया है (जो कि हमारे द्वारा इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में इसी तिथि को हस्ताक्षरित की गयी) जिसमें सम्बंधित क्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा अंकेक्षित 4 पारेषण क्षेत्रों के लेखे सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व अपने सम्प्रेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम अपनी योजना एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से यह विश्वास हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्या वर्णन से रहित हैं। एक सम्प्रेक्षा, जो परख–जांच के आधार पर की जाती है, में वित्तीय विवरणों में इंगित धनराशियों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं धनराशियों एवं प्रकट तथ्यों की जांच सम्मिलित है। सम्प्रेक्षण में प्रयोग किये गये लेखीय–सिद्धान्तों का मूल्याँकन एवं प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण अनुमानों के आंकने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते है, कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अन्तर्गत निर्गत किये गये कम्पनी (सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण सम्बंधी अनुलग्नक संलग्न कर रहे हैं।

4. पिछले वर्षों के लेखे वार्षिक सामान्य बैठक में अंशधारकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। फिर भी बकाया लम्बित लेखों की प्रस्तुतिकरण के लिए सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए वार्षिक सामान्य बैठक में गत वर्षो के लेखों के अनुमोदन/अंगीकरण के लम्बित रहते हुए वर्ष 2007–08 के लेखे प्रमाणित किये जा रहे हैं।

5. अनुसूची–21 के अन्तर्गत दर्शायी जा रही निम्न टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:–

(अ) जैसा कि टिप्पणी सं. 2 में इंगित है, पारेषण इकाइयों के लेखे दिनांक 01–04–2007 को उनके लम्बित वास्तविक अवशेषों के अनुसार तैयार किये गये हैं। अन्तिम अन्तरण योजना के लम्बित अन्तिमीकरण के फलस्वरूप, 'अनन्तिम अन्तरण योजना' में अधिसूचित अवशेषों तथा 'इकाईवार अवशेषों के मध्य रु. 180.72 करोड़ के अन्तर (शुद्ध क्रेडिट) 'कोष एवं आधिक्य' के अन्तर्गत पुनर्संरचना खाते के रूप में प्रतिबिम्बित है।

(ब) जैसा कि टिप्पणी सं. 11 में सन्दर्भित है बीजकों के रु. 0.1317 प्रतियूनिट की दर से लम्बित पुनरीक्षण तथा सम्बंधित वितरण कम्पनियों द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए पारेषण चक्रीय प्रभारों से सम्बंधित राजस्व का लेखांकन किया गया है।

अग्रेतर, इस पर उ.प्र.वि.नि.आ. का अनुवर्ती अनुमोदन भी दिनांक 02–11–2011 को प्राप्त कर लिया गया है।

6. (अ) जैसा कि टिप्पणी सं. 8(अ) में सन्दर्भित है चालू सम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमो, असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों (डिस्कामों के अवशेषो आदि सहित) सामग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं के पास उपलब्ध आदि के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे अवशेष पुष्टीकरण, समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हुए, के शर्ताधीन हैं।

(ब) जैसा कि टिप्पणी सं. 6 में सन्दर्भित है वर्ष के अन्त में रु. 48.19 करोड़ (शुद्ध डेबिट) के अन्तर इकाई अवशेषों का समाधान प्रक्रियाधीन है। असमान प्रविष्टियों का लेखों पर प्रभाव इस स्तर पर सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

7. लेखीय मानकः

(i) भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है न कि ''निम्न लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य'' पर जैसा कि लेखीय मानक–2 ''भण्डार सामग्री का मूल्यांकन'' द्वारा अपेक्षित है (लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ ले)।

(ii) सहायिकी एवं अनुदानों तथा कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की मान्यता नकद आधार पर दी गयी है, जो कि लेखीय मानक–9 'राजस्व मान्यता' के अनुरूप नहीं है (लेखीय नीति सं. 1 (सी) का सन्दर्भ लें)

(iii) कर्मचारी लागत तथा 'सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूँजीकरण, पूँजीगत कार्यो पर हुए कुल व्यय के पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर किया जाता है, जो कि अवधि के दौरान निर्धारित अनुपात में किये गये अप्रत्यक्ष व्यय के सापेक्ष करना था। अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण की यह पद्धति, आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–10 के अनुसार निर्धारित व्यवहार के अनुरूप नहीं है।

(iv) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत दावों के आधार पर किया गया है न कि बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर, जैसा कि लेखीय मानक–15 के अर्न्तगत आवश्यक है। अग्रेतर, जैसा कि लेखीय नीति सं. 6 (अ) तथा अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 3 में इंगित है, कर्मचारियों से सम्बंधित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्राविधान नवीनतम् बीमांकित मूल्यांकन के बजाय दिनांक 09–11–2000 की बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

अग्रेतर, 'नियुक्ति लाभों की योजना की प्रकृति' 'योजना में परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव' 'परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य' आदि से सम्बंधित आवश्यकताओं का प्रकटन, जैसा कि लेखीय मानक–15 द्वारा वांछित है, लेखों में नहीं किया गया है।

(v) स्थायी परिसम्पत्तियों की उधारी लागत का प्रगतिशील कार्यो पर पूँजीकरण, सम्पत्तियों के चालू अथवा क्रय होने की वास्तविक तिथि को बिना विचार किये वर्ष के प्रारम्भ में ही कर दिया जाता है (अनुसूची–21 की लेखीय नीति सं. 2 (र) का सन्दर्भ लें)

अग्रेतर, ब्याज का पूँजीकरण भी कुछ सम्पत्तियों पर किया जाता है, जो कि अर्हताप्राप्त सम्पत्तियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि उनको तैयार होने में अधिक समय नहीं लगता है। हमारे अभिमत में स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक–16 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।

(vi) जैसा कि लेखीय मानक–28 'परिसम्पत्तियों का क्षरण' द्वारा आवश्यक है, कम्पनी ने सम्पत्तिवार क्षरण के विवरण का आंकलन नहीं किया। (अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 18 का सन्दर्भ लें)

8. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI के भाग–1 द्वारा आवश्यक है, लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को देय बकायों से सम्बंधित निर्धारित विवरण का प्रकटन लेखों में नहीं किया गया है। (अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 9 का सन्दर्भ लें)

9. अग्रेतर, उपर्युक्त प्रस्तर 1 से 8 तक में सन्दर्भित हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम सूचित करते हैं किः–

(i) जैसा कि ऊपर इंगित है, को छोड़कर हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ii) यह पाया गया है कि पक्षवार सहायक लेजरों का रख–रखाव एवं मुख्य लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की पद्धति प्रभावी नहीं है। इस शर्त के साथ हमारे अभिमत में कम्पनी ने, जैसा विधि अनुसार आवश्यक है– यथोचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जो हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

(iii) हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उदेश्य से समुचित पर्याप्त लेखे क्षेत्रों से प्राप्त हो गये जहाँ हमारे द्वारा भ्रमण नहीं किया गया।

(iv) क्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमने उन पर उचित रूप से विचार किया।

(v) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रो से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणो सें मेल खाते हैं।

(vi) हमारे अभिमत में, कुछ निर्दिष्ट लेखीय मानकों, जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तर–7 में इंगित है, के अनुपालन न होने के सिवाय इस रिपोर्ट में विचारित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में सन्दर्भित लेखीय मानकों का पालन करते हैं।

(vii) कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के परिपेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के अनुसार निदेशकों को अयोग्य ठहराने के लिए प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

(viii) हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियाँ तथा अनुसूची–21 में सन्दर्भित टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की

आवश्यकतानुसार अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से दर्शाते हैं तथा उपर्युक्त प्रस्तर 6 एवं 7 में सन्दर्भित हमारी आपत्तियों की शर्ताधीन भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य लेखीय सिद्धान्तों के अनुरूप यथार्थ एवं सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हैंः–

(अ) 31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के मामले में कम्पनी के कार्य–कलापों की स्थिति।

(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते के मामले में दर्शायी गयी हानि की स्थिति।

(स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

कृते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
के.जी. बंसल
साझीदार

ए. सचदेव एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

27 (II) गोखले मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) 226001
दूरभाष–0522-2207154, 2207954

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को सम्बोधित 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर यथानिर्दिष्ट तिथि पर हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक :

(i) (अ) अधिकांश इकाइयों में कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थल सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

(ब) कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, इसलिए हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सामग्री विसंगति सूचित की गयी थी अथवा नहीं।

(स) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग को बेचा नहीं गया है।

(ii) (अ) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति के परिपेक्ष्य में भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।

(ब) प्रबंधन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के परिपेक्ष्य में पारेषण (पूर्व), इलाहाबाद की कुछ इकाइयों को छोड़कर, जहाँ इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, उचित एवं पर्याप्त है।

(स) अपवाद स्वरूप पारेषण (पूर्वी क्षेत्र) तथा पारेषण (दक्षिणी क्षेत्र) को छोड़कर, जहाँ के कुछ खण्डों में भण्डार सामग्री के अभिलेख अपूर्ण हैं, कम्पनी भण्डार अभिलेखों का उचित रख–रखाव कर रही है। भौतिक सत्यापन में, जहाँ कही सामग्री की विसंगतियाँ इंगित की गयीं, उन्हें उचित रूप से लेखा पुस्तको में कार्यन्वित किया गया है।

(iii) (अ) जैसा कि सूचित है कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किया है।

(ब) उपर्युक्त प्रस्तर (iii) (अ) के परिपेक्ष्य में, आदेश के प्रस्तर संख्या (iii) (ब), (स) एवं (द) लागू नहीं हैं।

(स) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित कम्पनियों, फर्मो अथवा अन्य पक्षों से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।

(द) उपर्युक्त प्रस्तर (iii) (स) के परिपेक्ष्य में कम्पनीज (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर सं. (iii) (एफ) (जी) लागू नहीं है।

(iv) हमारे अभिमत में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया है, जो कम्पनी के आकार एवं भण्डार सामग्री तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय एवं ऊर्जा सेवाओं की बिक्री सम्बंधी इसके व्यवसाय की प्रक्रति के अनुरूप है, सिवाय पारेषण (पूर्व) के जहाँ इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

अग्रेतर, स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए उचित अभिलेखों के रख–रखाव और इसके भौतिक सत्यापन क्षेत्रों को छोड़कर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमजोरी के निवारण हेतु निरन्तर असफलता नहीं रही है।

(v) (अ) जैसा कि हमें सूचित है ऐसा कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था नहीं है, जिनके विवरण अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।

(ब) उपर्युक्त प्रस्तर (v) (अ) के सन्दर्भ में आदेश का प्रस्तर (v) (ब) लागू नहीं है।

(vi) जैसा कि हमें सूचित है कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की गयी हैं। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत निर्देश तथा अधिनियम की धारा 58ए, 58एए के प्राविधानों अथवा किसी अन्य संगत प्राविधान एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियम लागू नहीं हैं।

(vii) कम्पनी में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मो द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति है। फिर भी कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यालय स्तर की इकाइयों को सम्मिलित करने तथा क्षेत्रीय इकाइयों में परख–जांच की अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता है।

(viii) हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा किया गया है। फिर भी हमने अभिलेखों की विस्तृत जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं की कि क्या वे यथार्थ एवं पूर्ण हैं।

(ix) (अ) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी सामान्यतः अविवादित वैधानिक देयों जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं उपकर आदि सहित उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। यह पाया गया कि उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान मासिक जमा के सापेक्ष एक मुश्त आधार पर जमा किया जाता है।

अग्रेतर, स्रोत पर कर की कटौती एवं जमा का उचित अनुपालन अनेकों इकाइयों के स्तर पर नहीं किया गया।

(ब) जैसा कि हमें सूचित है कि ऐसी कोई देय धनराशि नहीं है, जो विवाद के कारण जमा न की गयी हो।

(x) 'संचयी हानियाँ' सम्बंधी प्रस्तर लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी, 5 वर्षो से कम अवधि के लिए पंजीकृत नहीं है।

(xi) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंक या ऋण–पत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। किन्तु कम्पनी द्वारा प्रदेश सरकार से लिए गये ऋणों का पुर्नभुगतान नहीं किया है।

(xii) कम्पनी ने अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

(xiii) कम्पनी कोई चिट फन्ड/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। अतः प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।

(xiv) कम्पनी अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और अन्य विनियोगों का लेन–देन या व्यापार नहीं करती है, इसलिए प्रस्तर (xiv) के प्राविधान लागू नहीं होते।

(xv) जैसा कि हमें सूचित है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिये कोई गारन्टी नहीं दी है।

(xvi) चूँकि प्राप्त ऋण निधियाँ, अलग बैंक खाते में नहीं रखी जाती है और लेखों का रख–रखाव इस प्रकार से नहीं किया जाता है जो कि ऋण निधियों के अन्तिम प्रयोग के सम्बंध में तत्काल चिन्हित हो सके, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों को उन्हीं उद्देश्यों में प्रयोग किया गया है, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे। फिर भी, प्रबंधन के अनुसार ऋण निधियाँ उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गयी हैं, जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(xvii) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अल्पावधि के आधार पर प्राप्त निधियों का प्रयोग दीर्धावधि विनियोगों के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) कम्पनी ने अंशों का कोई अधिमान आबंटन नहीं किया है, अतः प्रस्तर (xviii) लागू नहीं है।

(xix) कम्पनी ने कोई ऋण पत्र निर्गत नहीं किये हैं, अतः प्रस्तर (xix) लागू नहीं है।

(xx) कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं किया है, इसलिए प्रस्तर (xx) लागू नहीं है।

(xxi) जैसाकि शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी में रु. 10 लाख धनराशि का गबन इंगित/सूचित था जो कि कारपोरेशन के 'पारेषण (दक्षिणी)' क्षेत्र में जाली नामों से डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर किया गया था, किन्तु सम्बंधित पक्षों से पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं हुयी है।

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 09–11–2011

कृते ए॰ सचदेव एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
के.जी. बंसल
साझीदार

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

	सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट	प्रबन्धन का उत्तर
1.	हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ एवं हानि खाता और इसी तिथि को समाप्त हुयी अवधि के प्रेषित रोकड़ प्रवाह विवरण का सम्प्रेक्षण किया है (जो कि हमारे द्वारा इस रिपोर्ट के सन्दर्भ में इसी तिथि को हस्ताक्षरित की गयी), जिसमें सम्बंधित क्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों द्वारा अंकेक्षित 4 पारेषण क्षेत्रो के लेखे सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा दायित्व अपने सम्प्रेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम अपनी योजना एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें, ताकि हमें उचित रूप से यह विश्वास हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्या वर्णन से रहित हैं। एक सम्प्रेक्षा, जो परख–जांच के आधार पर की जाती है, में वित्तीय विवरणों में इंगित धनराशियों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं धनराशियों एवं प्रकट तथ्यों की जांच सम्मिलित है। सम्प्रेक्षण में प्रयोग किये गये लेखीय–सिद्धान्तों का मूल्याँकन एवं प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण अनुमानों के आंकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अन्तर्गत निर्गत किये गये कम्पनी (सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण सम्बंधी अनुलग्नक संलग्न कर रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

4.	पिछले वर्षो के लेखे वार्षिक सामान्य बैठक में अंशधारकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। फिर भी बकाया लम्बित लेखों की प्रस्तुतिकरण के लिए सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए वार्षिक सामान्य बैठक में गत वर्षों के लेखों के अनुमोदन/अंगीकरण के लम्बित रहते हुए वर्ष 2007–08 के लेखे प्रमाणित किये जा रहे हैं।	सी.ए.जी. ने दिनांक 08–12–2011 को वित्तीय वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के सम्प्रेक्षित लेखों पर टिप्पणियाँ निर्गत की गयी। वार्षिक सामान्य बैठक में इन लेखों का अंगीकरण प्रक्रिया में है।
5.	अनुसूची–21 के अन्तर्गत दर्शायी जा रही निम्न टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:– (अ) जैसा कि टिप्पणी सं. 2 में इंगित है, पारेषण इकाइयों के लेखे दिनांक 01–04–2007 को उनके लम्बित वास्तविक अवशेषों के अनुसार तैयार किये गये हैं। अन्तिम अन्तरण योजना के लम्बित अन्तिमीकरण के फलस्वरूप, 'अनन्तिम अन्तरण योजना' में अधिसूचित अवशेषों तथा 'इकाईवार अवशेषों के मध्य रु. 180.72 करोड़ के अन्तर (शुद्ध क्रेडिट) 'कोष एवं आधिक्य' के अन्तर्गत पुनर्संरचना खाते के रूप में प्रतिबिम्बित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब) जैसा कि टिप्पणी सं० 11 में सन्दर्भित है बीजकों के रु. 0.1317 प्रतियूनिट की दर से लम्बित पुनरीक्षण तथा सम्बंधित वितरण कम्पनियों द्वारा इसकी स्वीकृति के लिए पारेषण चक्रीय प्रभारों से सम्बंधित राजस्व का लेखांकन किया गया है। अग्रेतर इस पर उ.प्र.वि.नि.आ. का अनुवर्ती अनुमोदन भी दिनांक 02–11–2011 को प्राप्त कर लिया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं, किन्तु संशोधित बीजक सम्बंधित वितरण कम्पनियों को भेज दिये गये हैं।
6.	(अ) जैसा कि टिप्पणी सं० 8(अ) में सन्दर्भित है चालू सम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों, असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों (डिस्कामों के अवशेषों आदि सहित) सामग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/ निर्माणकर्त्ताओं के पास उपलब्ध आदि के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे अवशेष पुष्टीकरण, समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हुए के शर्ताधीन हैं।	चालू सम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों, असंरक्षित ऋण तथा चालू दायित्वों आदि शीर्षों के अन्तर्गत अवशेषों के समाधान का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा समाधान के उपरान्त समय–समय पर जैसा आवश्यक हो, लेखा पुस्तकों में आवश्यक लेखांकन/समायोजन किया जाता है।
	(ब) जैसा कि टिप्पणी सं. 6 में सन्दर्भित है वर्ष के अन्त में रु. 48.19 करोड़ (शुद्ध डेबिट) के अन्तर इकाई अवशेषों का समाधान	अन्तर इकाई अवशेषों का समाधान एक निरन्तर प्रक्रिया है एवं असमान प्रविष्टियों के प्रभाव की कार्यवाही आगामी वर्षों के लेखों में की जायेगी।

	प्रक्रियाधीन है। असमान प्रविष्टियो का लेखों पर प्रभाव इस स्तर पर सुनिश्चित करने योग्य नही है।	
7.	**लेखीय मानकः**	
	(i) भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है न कि ''निम्न लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य'' पर जैसा कि लेखीय मानक–2 ''भण्डार सामग्री का मूल्यांकन'' द्वारा अपेक्षित है (लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें)।	कारपोरेशन केवल निर्माण तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए भण्डार सामग्री का रख–रखाव करता है। कारपोरेशन तैयार भण्डार यथा विद्युत के लिए भण्डार नहीं रखता है। अतः भण्डार का मूल्यांकन लेखीय मानक–2 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं करता है।
	(ii) सहायिकी एवं अनुदानों तथा कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की मान्यता नकद आधार पर दी गयी है, जो कि लेखीय मानक–9 'राजस्व मान्यता' के अनुरूप नहीं है (लेखीय नीति सं. 1 (सी) का सन्दर्भ लें)	लेखीय मानक–9 के अनुरूप वसूली की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन की महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों के अनुसार लेखांकन किया गया है।
	(iii) कर्मचारी लागत तथा 'सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूँजीकरण, पूँजीगत कार्यो पर हुए कुल व्यय के पूर्व निर्धारित प्रतिशत के आधार पर किया जाता है, जो कि अवधि के दौरान निर्धारित अनुपात में किये गये अप्रत्यक्ष व्यय के सापेक्ष करना था। अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण की यह पद्धति, आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–10 के अनुसार निर्धारित व्यवहार के अनुरूप नहीं है।	जैसा कि 'महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों' के बिन्दु सं० 2 (य) पर सारांशित है कि कार्यशील इकाइयों की अधिकता साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय पूँजीगत कार्यो पर निर्धारित किये जाने हेतु उचित रूप से विचारित दरों पर पूँजीकृत है।
	(iv) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत दावों के आधार पर किया गया है न कि बिमांकित मूल्यांकन के आधार पर जैसा कि लेखीय मानक–15 के अन्तर्गत आवश्यक है। अग्रेतर, जैसा कि लेखीय नीति सं. 6 (अ) तथा अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 3 में इंगित है, कर्मचारियों से सम्बंधित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान नवीनतम् बिमांकित मूल्यांकन के बजाय दिनांक 09–11–2000 की बिमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अग्रेतर, 'नियुक्ति लाभों की योजना की प्रकृति' 'योजना में परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव' 'परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान	पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जैसा कि लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट है। बीमांकित मूल्यांकन का कार्य मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपा गया है। प्रकटन की आवश्यकता सहित आवश्यक कार्यवाही कथित बिमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत किये जाने पर की जायेगी।

	मूल्य' आदि से सम्बंधित आवश्यकताओं का प्रकटन जैसा कि लेखीय मानक–15 द्वारा वांछित है, लेखों में नहीं किया गया है।	
	(v) स्थायी परिसम्पत्तियों की उधारी लागत का प्रगतिशील कार्यों पर पूँजीकरण, सम्पत्तियों के चालू अथवा क्रय होने की वास्तविक तिथि को बिना विचार किये वर्ष के प्रारम्भ में ही कर की दिया जाता है (अनुसूची–21 की लेखीय नीति सं. 2 (र) का सन्दर्भ लें) अग्रेतर, ब्याज का पूँजीकरण भी कुछ सम्पत्तियों पर किया जाता है जो कि अर्हता प्राप्त सम्पत्तियाँ नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनको तैयार होने में अधिक समय नहीं लगता है। हमारे अभिमत मे स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक–16 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है।	लेखीय मानक–16 की भूमिका के अनुसार यह इंगित है कि क्या एक परिमित सम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पाद से सम्बंधित प्रत्यक्ष उधारी लागत की धनराशि का निर्धारण कठिन है। इस प्रकार के प्रकरण में निर्णय का प्रयोग किया जाना आवश्यक है तथा परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों के समूह को चिन्हित करना कठिन है, जिन पर उधारी लागत की धनराशि विनियोजित है। इसलिए कारपोरेशन ने उधारी लागत का पूँजीकरण विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के प्राविधानों के अनुरूप किया है।
	(vi) जैसा कि लेखीय मानक–28 'परिसम्पत्तियों का क्षरण' द्वारा आवश्यक है कम्पनी ने सम्पत्तिवार क्षरण के विवरण का आंकलन नहीं किया। (अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 18 का सन्दर्भ लें)	जहाँ तक सम्पत्तियों के क्षरण का प्रश्न है तुलन पत्र की तिथि को किसी सम्पत्ति के क्षरण का कोई विशेष संकेत नहीं है, जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा विचार किया जाना है, अग्रेतर, विचार किया जाना है कि कारपोरेशन की परिसम्पत्तियाँ उनकी ऐतिहासिक लागत पर लेखीकृत की गयी है तथा उनमें से अधिकांश बहुत पुरानी हैं, जहां सम्पत्तियो का क्षरण अत्याधिक असामान्य है।
8.	जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI के भाग–1 द्वारा आवश्यक है लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को देय बकायों से सम्बंधित निर्धारित विवरण का प्रकटन लेखों में नहीं किया गया है। (अनुसूची–21 की टिप्पणी सं. 9 का सन्दर्भ लें)	'लेखों पर टिप्पणियाँ' के बिन्दु सं० 9 पर तथ्यों को सारांशित किया गया है।
9.	अग्रेतर उपर्युक्त प्रस्तर 1 से 8 तक में सन्दर्भित हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम सूचित करते हैं किः– (i) जैसा कि ऊपर इंगित है, को छोड़कर हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के उदेश्य से आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नहीं।

	(ii) यह पाया गया है कि पक्षवार सहायक लेजरों का रख–रखाव एवं मुख्य लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की पद्धति प्रभावी नहीं है। इस शर्त के साथ हमारे अभिमत में कम्पनी ने जैसा विधि अनुसार आवश्यक है, यथोचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जहाँ तक हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से प्रतीत होता है।	प्राथमिक लेखा पुस्तकों से विधिवत मेल खाते हुए पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये है।
	(iii) हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उदेश्य से समुचित पर्याप्त लेखे क्षेत्रों से प्राप्त हो गये जहाँ हमारे द्वारा भ्रमण नहीं किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(iv) क्षेत्रीय सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी तथा हमारी रिपोर्ट तैयार करने में हमने उनपर उचित रूप से विचार किया।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(v) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(vi) हमारे अभिमत में, कुछ निर्दिष्ट लेखीय मानकों जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तर–7 में इंगित है, के अनुपालन न होने के सिवाय इस रिपोर्ट में विचारित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में सन्दर्भित लेखीय मानकों का पालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(vii) कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं० 8/2002 के परिपेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के अनुसार निदेशकों को अयोग्य ठहराने के लिए प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(viii) हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियाँ तथा अनुसूची–21 में सन्दर्भित टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकतानुसार अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से दर्शाते हैं तथा उपर्युक्त प्रस्तर 6 एवं 7 में सन्दर्भित हमारी आपत्तियों की शर्ताधीन भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य लेखीय	कोई टिप्पणी नहीं।

	सिद्धान्तों के अनुरूप यथार्थ एवं सत्य स्थिति प्रस्तुत करते हैः– (अ) 31 मार्च, 2008 को तुलन पत्र के मामले में कम्पनी के कार्य–कलापों की स्थिति। (ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते के मामले में दर्शायी गयी हानि की स्थिति। (स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।	

सुघांशु द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

एस॰ के॰ अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट के संलग्नक पर प्रबंध के उत्तर :

(i)	(अ)	अधिकांश इकाइयों में कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थल सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	समस्त इकाइयों में स्थायी परिसम्पत्तियों की पंजिकाओं के आद्यतन स्थिति में रख–रखाव हेतु आवश्यक निर्देश सम्बंधित क्षेत्रों को जारी किये गये हैं।
	(ब)	कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, इसलिए हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई सामग्री विसंगति सूचित की गयी थी अथवा नहीं।	तदैव
	(स)	कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग को बेचा नहीं गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ii)	(अ)	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जो का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति के परिपेक्ष्य में भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब)	प्रबंधन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के परिपेक्ष्य में पारेषण (पूर्व), इलाहाबाद की कुछ इकाइयों को छोड़कर, जहाँ इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, उचित एवं पर्याप्त है।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	(स)	अपवाद स्वरूप पारेषण (पूर्वी क्षेत्र) तथा पारेषण (दक्षिणी क्षेत्र) को छोड़कर जहाँ के कुछ खण्डों में भण्डार सामग्री के अभिलेख अपूर्ण है, कम्पनी भण्डार अभिलेखों का उचित रख–रखाव कर रही है। भौतिक सत्यापन मं जहाँ कहीं सामग्री की विसंगतियाँ इंगित की गयीं, उन्हें उचित रूप से लेखा पुस्तकों में कार्यान्वित किया गया है।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
(iii)	(अ)	जैसा कि सूचित है कम्पनी ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित कम्पनियों, फर्मों अथवा	कोई टिप्पणी नहीं।

	अन्य पक्षों को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किया है।	
	(ब) उपर्युक्त प्रस्तर (iii) (अ) के परिपेक्ष्य में, आदेश के प्रस्तर संख्या (iii) (ब), (स) एवं (द) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(स) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में आवरित कम्पनियों, फर्मो अथवा अन्य पक्षों से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(द) उपर्युक्त प्रस्तर (iii) (स) के परिपेक्ष्य मे कम्पनीज (सम्प्रेक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 के प्रस्तर सं. (iii) (एफ) (जी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(iv)	हमारे अभिमत में तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया है, जो कम्पनी के आकार एवं भण्डार सामग्री तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय एवं ऊर्जा सेवाओं की बिक्री सम्बंधी इसके व्यवसाय की प्रक्रति के अनुरूप है– सिवाय पारेषण (पूर्व) के, जहाँ इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अग्रेतर स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए उचित अभिलेखों के रख–रखाव और इसके भौतिक सत्यापन क्षेत्रों को छोड़कर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी बड़ी कमजोरी के निवारण हेतु निरन्तर असफलता नहीं रही है।	सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। अग्रेतर सभी क्षेत्रों को विधिवत निर्देशित किया गया है कि स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बंधित अभिलेखों को पूर्ण करें साथ ही साथ स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।
(v)	(अ) जैसा कि हमे सूचित है ऐसा कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था नहीं है जिनके विवरण अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
	(ब) उपर्युक्त प्रस्तर (v) (अ) के सन्दर्भ में आदेश का प्रस्तर (v) (ब) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vi)	जैसा कि हमें सूचित है कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की गयी है, अतः रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत निर्देश तथा अधिनियम की धारा 58ए, 58एए के प्राविधानों अथवा किसी अन्य संगत प्राविधान एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियम लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(vii)	कम्पनी में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्मों द्वारा	प्रबंधन ने सम्प्रेक्षकों की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया तथा आवश्यक कार्यवाही

	आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति अपनायी है। फिर भी कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यालय स्तर की इकाइयों को सम्मिलित करने तथा क्षेत्रीय इकाइयों में परख–जांच की अवधि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता है।	उचित समय में की जायेगी।
(viii)	हमारे अभिमत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा किया गया है। फिर भी हमने अभिलेखों की विस्तृत जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं की कि क्या वे यथार्थ एवं पूर्ण हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ix)	(अ) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी सामान्यतः अविवादित वैधानिक देयों, जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर आदि सहित उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है। यह पाया गया कि उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान मासिक जमा के सापेक्ष एक मुश्त आधार पर जमा किया जाता है। अग्रेतर, स्रोत पर कर की कटौती एवं जमा का उचित अनुपालन अनेकों इकाइयों के स्तर पर नहीं किया गया।	भविष्य निधि अंशदान का भुगतान उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को माह मार्च, 2010 से मासिक आधार पर किया जा रहा है। सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	(ब) जैसाकि हमें सूचित है कि ऐसी कोई देय धनराशि नहीं है, जो विवाद के कारण जमा न की गयी हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
(x)	'संचयी हानियाँ' सम्बंधी प्रस्तर लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी 5 वर्षों से कम अवधि के लिए पंजीकृत नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xi)	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंक या ऋण–पत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। किन्तु कम्पनी द्वारा प्रदेश सरकार से लिए गये ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xii)	कम्पनी ने अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

(xiii)	कम्पनी कोई चिट फन्ड/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। अतः प्रस्तर (xiii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xiv)	कम्पनी अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और अन्य विनियोगों का लेन–देन या व्यापार नहीं करती है इसलिए प्रस्तर (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xv)	जैसा कि हमें सूचित है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिये कोई गारन्टी नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xvi)	चूँकि प्राप्त ऋण निधियाँ, अलग बैंक खाते में नहीं रखी जाती हैं और लेखों का रख–रखाव इस प्रकार से नहीं किया जाता है, जो कि ऋण निधियों के अन्तिम प्रयोग के सम्बंध में तत्काल चिन्हित हो सके, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों को उन्ही उद्देश्यों में प्रयोग किया गया हैं जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे। फिर भी, प्रबंधन के अनुसार ऋण निधियाँ उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गयी है जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे।	ऋण निधियों का प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों में किया गया है, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे।
(xvii)	हमे दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अल्पावधि आधार पर प्राप्त निधियों का प्रयोग दीर्घावधि विनियोगों के लिए नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xviii)	कम्पनी ने अंशों का कोई अधिमान आबंटन नहीं किया है, अतः प्रस्तर (xviii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xix)	कम्पनी ने कोई ऋण पत्र निर्गत नहीं किये हैं, अतः प्रस्तर (xix) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(xx)	कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं किया है, इसलिए प्रस्तर (xx) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

(xxi)	जैसा कि शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी में रु. 10 लाख धनराशि का गबन इंगित/सूचित था जो कि कारपोरेशन के 'पारेषण (दक्षिणी)' क्षेत्र में जाली नामों से डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर किया गया था, किन्तु सम्बंधित पक्षों से पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं हुयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।

सुधाशु द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश
छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज, लखनऊ–226 024

पत्रांक म.ले. (वाणि. एवं प्रा. ले. प.) विद्युत लेखा/179 दिनांकः 23.03.2012

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

महोदय,

एतत्सह कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

सम्प्रेक्षी द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सम्प्रेक्षी के स्तर पर किसी गलत सूचना तथा/या सूचना न देने के लिए कार्यालय महालेखा (वाणिज्यक एवं प्राप्ति लेखा सम्प्रेक्षा) उत्तर प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

कृपया पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

सहपत्र– यथोपरि।

डॉ॰ स्मिता एस॰ चौधरी

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उ. प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित वित्तीय ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत, उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदनों एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09 नवम्बर, 2011 के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया सूचित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ब) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आये तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बंधित सम्प्रेक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।

(अ) तुलनपत्र

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं प्राविधान

भण्डार एवं कलपुर्जे (अनुसूची–6) रु. 290.17 करोड़

अन्य सामग्री (रु. 6.16 करोड़)

1. उपर्युक्त में रु. 38.75 लाख की धनराशि की भण्डार सामग्री की कमी, सम्मिलित है, जो कि लम्बित जाँच में थी। विवेकपूर्ण लेखीय सिद्धान्तों के अनुसार उपर्युक्त के लिए प्राविधान किया जाना चाहिए था। अतः प्राविधान न करने के परिणामस्वरूप 'भण्डार एवं कलपुर्जे रु. 38.75 लाख से अधिक तथा प्राविधान/हानि कम दर्शाये गये हैं।

अन्य चालू सम्पत्तियाँ (अनुसूची–9)

कर्मचारियों से प्राप्य : रु. 395.26 लाख

2. निदेशक मण्डल ने (22 फरवरी, 2008 को) श्री मुख्तार अहमद सेवानिवृत्त सहायक भण्डारी के विरुद्ध डाले गये रु. 23.25 लाख के विविध अग्रिम के अपलेखन का अनुमोदन किया, जो कि कर्मचारी से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। इसका समायोजन न करने के फलस्वरूप रु. 23.25 लाख से ''अन्य चालू सम्पत्तियाँ'' एवं ''संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान'' प्रत्येक अधिक दर्शाये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
वास्ते एवं उनकी ओर से

महालेखाकार

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणियाँ	प्रबन्धन के उत्तर
	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित वित्तीय ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत, उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदनों एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 09 नवम्बर, 2011 के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा किया गया सूचित है। मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ब) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित हैं। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आये तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बंधित सम्प्रेक्षा रिपोर्ट को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

(अ)	**तुलनपत्र** **चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं प्राविधान** **भण्डार एवं कलपुर्जे (अनुसूची–6) रु. 290.17 करोड़** **अन्य सामग्री (रु. 6.16 करोड़)**	जब कभी सामग्री की कमी पायी जाती है। 'सामग्री की कमी लम्बित जांच में' को लेखीकृत किया जाता है ऐसे प्रकरण कारपोरेशन में प्रचलित लेखांकन की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किये जाते हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह प्राविधान है कि :
1.	उपर्युक्त में रु. 38.75 लाख की धनराशि की भण्डार सामग्री की कमी सम्मिलित है, जो कि लम्बित जाँच में थी। विवेकपूर्ण लेखीय सिद्धान्तों के अनुसार उपर्युक्त के लिए प्राविधान किया जाना चाहिए था। अतः प्राविधान न करने के परिणामस्वरूप 'भण्डार एवं कलपुर्जे रु. 38.75 लाख से अधिक तथा प्राविधान/हानि कम दर्शाये गये हैं।	(1) यदि कोई कर्मचारी ऐसी हानि/कमी के लिए दोषी हैं, तो उस कर्मचारी के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं इस धनराशि की वसूली उससे की जाती है। (2) यदि यह पाया जाता है कि सामग्री की कमी/हानि अनियंत्रण परिस्थितियों के कारण है, तो यह धनराशि हानि के रूप में लेखीकृत की जाती है। उपर्युक्त लेखीय प्रक्रिया के परिपेक्ष में किसी प्राविधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपचारी उपाय की कार्यवाही शीघ्र की जाती है तथा इसके संगत प्रभाव का लेखांकन तत्काल लेखा पुस्तकों में किया जाता है। अग्रेतर, यह इंगित करना है कि भण्डार सामग्री के सापेक्ष रु. 4070.21 लाख का पर्याप्त प्राविधान विद्यमान है जिसमें 'सामग्री की कमी लम्बित जांच में' शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध भण्डार सामग्री विधिवत आवरित है। अतः रु. 38.75 लाख की अल्प धनराशि के लिए प्राविधान की आवश्यकता नहीं है।
2.	**अन्य चालू सम्पत्तियाँ (अनुसूची–9)** **कर्मचारियों से प्राप्य : रु. 395.26 लाख** निदेशक मण्डल ने (22 फरवरी, 2008 को) श्री मुख्तार अहमद, सेवानिवृत्त सहायक भण्डारी के विरुद्ध डाले गये रु. 23.25 लाख के विविध अग्रिम के अपलेखन का अनुमोदन किया, जो कि कर्मचारी से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। इसका समायोजन न करने के फलस्वरूप रु. 23.25 लाख से ''अन्य चालू सम्पत्तियाँ'' एवं ''संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान'' प्रत्येक अधिक दर्शाये गये हैं।	निदेशक मण्डल के निर्णय की सूचना इकाई को लेखा के अन्तिमीकरण तक प्राप्त नहीं हुयी थी। अतः श्री मुख्तार अहमद, सहायक भण्डारी के विरुद्ध विविध अग्रिम के अपलेखन का लेखांकन नहीं हुआ था। फिर भी रु. 23.75 लाख का प्राविधान सन्दर्भित विविध अग्रिम के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 में किया जा चुका है, इसलिए 'अन्य चालू सम्पत्तियों' को अधिक नहीं दर्शाया गया है। सम्बंधित इकाई को वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवश्यक समायोजन प्रविष्टि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सुधांशु द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)